



सतना जिले में औद्योगिक इकाईयों में वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन

उर्मिला साकेत

शोधार्थी, भूगोल विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. आर.के. शर्मा

प्राचार्य

इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय, न्यू रामनगर, सतना (म.प्र.)

सारांश —

सतना जिला, जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख हिस्सा है, औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है, विशेष रूप से सीमेंट उद्योग में इसकी प्रमुखता रही है। हालाँकि, औद्योगिक इकाईयों में वृद्धि ने कुछ गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है, जो इस अध्ययन के केंद्र में हैं। मुख्य समस्याएँ — औद्योगिक इकाईयों से उत्सर्जित धूल, धुआं और हानिकारक गैसों वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हैं। जल स्रोतों में औद्योगिक अपशिष्ट मिल जाने से जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों और खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। वन्यजीवन और प्राकृतिक संसाधनों पर भी नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। वायु और जल प्रदूषण से लोगों में श्वसन संबंधी बीमारियाँ, जैसे अस्थमा और फेफड़े के रोग, बढ़ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र के पास रहने वाले लोगों में त्वचा रोग, आँखों में जलन, और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी वृद्धि देखी जा रही है। औद्योगिक इकाईयों की अधिक जल खपत से जलस्तर में गिरावट आ रही है, जिससे स्थानीय किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी हो रही है। कई जल स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट से दूषित हो चुके हैं, जिससे कृषि उत्पादकता पर असर पड़ रहा है। औद्योगीकरण के कारण पारंपरिक कृषि और ग्रामीण जीवनशैली में बदलाव आ रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की कमी और सामाजिक असंतुलन बढ़ा है। भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के कारण कई परिवार अपने पारंपरिक निवास स्थान से दूर जा रहे हैं, जिससे उनके जीवनस्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। औद्योगिक इकाईयों में वृद्धि से भारी परिवहन यातायात बढ़ गया है, जिससे सड़कों पर जाम और दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। बुनियादी ढांचे की कमी और अपर्याप्त शहरी नियोजन से शहरों में अराजकता और असुविधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की कमी है। औद्योगिक इकाईयों के प्रसार के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का अव्यवस्थित दोहन हो रहा है, जिससे दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। इस प्रकार सतना जिले में औद्योगिक इकाईयों की वृद्धि ने आर्थिक रूप से विकास को बढ़ावा दिया है, लेकिन इससे पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सतत विकास की योजनाएँ बनानी होंगी, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन, और सामाजिक सुधार शामिल हों।



मुख्य शब्द — सतना जिला, औद्योगिक इकाईयों, वृद्धि, समस्याएँ, अध्ययन।

प्रस्तावना –

सतना जिला, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। यहाँ सीमेंट उद्योग का प्रमुख रूप से विकास हुआ है, जिससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रगति मिली है। औद्योगिक इकाईयों की बढ़ती संख्या ने रोजगार के अवसरों और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित किया है, जिससे स्थानीय जनता को लाभ हुआ है। हालाँकि, औद्योगीकरण के इस विस्तार के साथ-साथ कई समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही हैं, जो पर्यावरण, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी हैं। यह अध्ययन सतना जिले में औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से उत्पन्न प्रमुख समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान के लिए प्रभावी नीतियों का सुझाव देने का प्रयास करेगा। सतना जिले के लिए सतत और संतुलित औद्योगिक विकास हेतु नीतिगत सुझाव प्रदान करना, ताकि आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित हो सके।

विश्लेषण –

औद्योगिक इकाईयों की उत्पादन प्रणाली परम्परागत होने की वजह से सामग्रियों का उत्पादन परिष्कृत नहीं है, क्योंकि सतना जिले के उद्योग सामान्यतः जातिगत हैं। इनके फलस्वरूप ऐसे उद्योगों से उत्पादित सामान उत्तम गुणों की उच्च कीमत पर निर्माण किया जाता है। जिले में व्यापक उद्योग के भांति ही औद्योगिक इकाईयों भी स्वतंत्र अस्तित्व में रहकर उत्पादन प्रक्रियायें कर रहे हैं, जिससे दोनों तरह के उद्योगों में न सिर्फ बाजारी प्रतिस्पर्धा विपणन के समय उत्पन्न होती है, अपितु अनेक सामाजिक समस्यायें इन उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सतना जिले के उद्योगों का उत्पादन हमेशा अप्रमाणित रहता है, जिनमें उन्नत किस्म, समरूप वर्गीकृत सामग्रियों की कमी है, जिससे उद्यम के श्रमिक, कारीगर और स्वामी उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। जिले के उद्योगों के विकास की कई सामाजिक समस्याएँ हैं, जो इस प्रकार हैं –

- शक्तिकरण की समस्या –** सतना जिले का औद्योगिक वातावरण कुछ ऐसा है कि जैसे ही व्यक्ति अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने का विचार करता है उसे बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों में कठिन संघर्ष कर आगे बढ़ना होता है। अपना प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के साथ ही उसकी समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे उपयुक्त स्थान का चयन, बाजार सर्वेक्षण के लिए आंकड़ों का संग्रहण, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन तकनीक की जानकारी, प्रतिस्पर्धात्मक दर पर वित्त की प्राप्ति आदि। एक बड़ा पूंजीपति सलाहकारों की सेवा प्राप्त कर, प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन बनवा सकता है। इस सेवा के लिए मोटी फीस सलाहकारों के देने की हैसियत वह रखता है, किंतु एक छोटे उद्योगपति को इन सबके लिए सामान्यतः स्वयं पर निर्भर रहना होता है, जिसे वह प्रारंभ में ही पिछड़ जाता है।

- पंजीयन की समस्या –** अगली समस्या के रूप में उद्यमियों का सामना होता है कि वे उद्योग विभाग तथा स्थानीय सत्ता से उद्योग का लायसेंस प्राप्त करना। इस कार्य में लगे अधिकारी, कर्मचारियों का सहयोगात्मक रूख न होने से उद्यमी के मार्ग में अनेक अवरोध खड़े हो जाते हैं। अनेक बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई सुविधाओं, नीति निर्देशों की जानकारी तक इन अधिकारियों/कर्मचारियों को नहीं होती। इनके द्वारा टाल मटोल करने से उद्यमी की समस्या सुलझाने के स्थान पर लालफीताशाही में और भी उलझ जाती है। यदि उत्पादन कार्य में लगने वाली मशीनरी या कच्चा माल आयात किया जाता है, तब तो उचित लाइसेंस पाने हेतु सुनिश्चित आयात की जाने वाली समस्त क्रिया से इसे बार-बार गुजरना होता है, क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति व्यापक तेज गति से परिवर्तन होता रहता है। इस्पेक्टर राज की स्थापना और विचौलियों ने इस सम्पूर्ण व्यवस्था को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया है। ऐसी व्यवस्था में व्यापक पूंजीपति अथवा उच्च राजनीति के पहुंच वाले व्यक्ति तो सफलता के साथ उबर जाते हैं। बाकी हेतु यह संघर्ष टेढ़ी खीर साबित होता है।

- तकनीकी सुविधाओं का कमी –** जिले की औद्योगिक इकाईयों के विकास में एक और सामाजिक समस्या जिसने इसे विकलांग बना रखा है। वह इन उद्योगों में आधुनिक तकनीक की अनुपरिस्थिति है। आधुनिक तकनीक को अपनाए जाने से ही अच्छी किस्म, उत्पादन की उच्च कीमत और लागतों में कमी संभव है। कड़ी प्रतियोगिता में टिके रहने हेतु यह भी जरूरी है कि नये तकनीक के लाभ उपभोक्ता तक पहुंच पाये। इसके हेतु शोध और विकास के कार्य लगातार करना होगा। व्यक्ति की स्वयं की बौद्धिक क्षमता और उपलब्ध ज्ञान के परिमार्जन से

नवीन विचारों का निर्माण हो सकता है। विकासोन्मुख और नवाचार सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में घरेलू एंव कुटीर उद्यमी अभी काफी पिछड़े हुये हैं।

• श्रम की समस्याएं – औद्योगिक उत्पादन में श्रमिकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। उत्पादन के साधनों में यही एक ऐसा साधन है जिससे अगर मानवीय व्यवहार नहीं किया गया तो उद्यमी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सम्पूर्ण प्रकार से सजग है। उद्यमी को श्रम कानूनों की अद्यतन जानकारी होना जरूरी है। ट्रेड यूनियन के राजनीतिकरण से भी उद्यमी की समस्या बड़ी है। इसलिए उद्यमी के समक्ष इस गंभीर और कठिन चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी के साथ करने और कानूनी व सामाजिक दबाव सदैव रहता है।

• प्रशासकीय और प्रबंधकीय समस्याएं – एक क्षेत्र और है जहां औद्योगिक इकाईयों के उद्यमियों को व्यापक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वह प्रशासकीय और प्रबंधकीय भाग है। किसी भी उद्यम की सफलता उसकी सुदृढ़ प्रशासकीय व्यवस्था और प्रबन्ध के चातुर्य पर आश्रित रहता है। एक सही प्रशासक अपनी शक्ति और कमियों को जानता है। वह अवसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है और चेतावनी का डटकर मुकाबला करने की सामर्थ्य एकत्र कर लेते हैं। उसके पास समस्याओं के निवारण करने की सुस्पष्ट रणनीति होती है। प्रशासकीय कार्यों को करने में प्रबंध सहयोग करता है। संगठन, नियोजन, नियंत्रण और समन्वय और सही समय पर उचित निर्णय जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से उच्च परिणाम प्राप्त करेन में उद्यमी को सफलता पायी जाती है जिन उद्यमियों के पास इन सब बातों का अच्छा ज्ञान होता है, उन्हें सफलता मिलने की संभावना भी काफी अच्छा होता है, परंतु सर्वाधिक उद्यमी इस प्रकार की क्षमता और कुशलता पाने में असमर्थ होता है। इनका दुष्परिणाम यह होता है कि इन उद्योगों में कई प्रशासकीय और प्रबंधकीय समस्याएं बनी रहती हैं। आज जबकि भारतीय उद्योग संसार में अपनी सफलता का झण्डा गाढ़ रहे हैं तो लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित और पल्लवित करना इस देश का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। गेम थोरी जैसे सिद्धान्तों ने यह सुस्पष्ट कर दिया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जायेगी। अतएव उद्यमी को मजबूती देने हेतु बेहतर वित्त की सुविधा और उद्यम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु उन्हें उचित प्रशासकीय और प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है ताकि सफलता को सुनिर्धारित हो सके।

• स्वामित्व की समस्या – एक उद्यमी को उद्योग स्थापना से लेकर संचालन, नियंत्रण एवं निर्देशन करना पड़ता है। उनका सर्वाधिक समय उद्योग के कार्यान्वयन पर होता है। अनेक सौके पर व्यस्तता की वजह से उद्योग के स्वामित्व एवं प्रबन्धन पर समय—समय निकालना कठिन हो जाती है, फलस्वरूप व्यावसायिक विकास की संभावनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्यावसायिक इकाई के स्वामित्व में बदलाव की वजह मानसिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

• धार्मिक कारण – उद्यमियों में धार्मिक समस्या भी एक बाधक तत्व है, जिनमें जाति धर्म के आधार पर अपने व्यवसाय को संचालन करना कठिन हो जाता है। धार्मिक समस्या के आधार पर औद्योगिक इकाई की रथापना नहीं कर पाते हैं। चाहते हुए भी कुछ वर्ग कई उद्योगों की स्थापना करने पर जलन अथवा असम्मानित महसूस करती है, जो निम्नानुसार है –

(1) मछली पालन – अधिकांशतः मछली पालन व्यवसाय भी समाज के सभी वर्गों के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाता, जबकि यह उद्यम काफी लाभ देने वाला और कई प्रकार के रोजगार मुहैया करने वाला है।

(2) मुर्गीपालन – इस व्यवसाय को शुरू करने में समस्त वर्गों के व्यक्ति काफी संकोच करते हैं। अतः इस व्यवसाय का लाभ सर्वाधिक कम पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिससे वैज्ञानिक तरीके से इस उद्यम का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है।

(3) सुअर पालन – अधिकांशतः सुअर पालन घृणित उद्यम माना जाता है। सिर्फ अनुसूचित जाति के बसोर और कुम्हार व्यक्ति ही इसका व्यवसाय करते हैं जबकि यह व्यवसाय पर्याप्त लाभकारी और रोजगार देने वाला है।

(4) बीड़ी उद्योग – बीड़ी उद्योग तेंदू पत्ता पर आश्रित है, यह मजदूर वर्ग के नशा का सरता स्रोत है। इस उद्योग में बगैर पूंजी और मशीन के सम्पन्न किया जाता है। इस उद्योग में सर्वाधिक अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति काम करते हैं। यह उद्योग रोजगार की दृष्टिकोण से महिलाओं को घर बैठे आमदनी के स्रोत है। अधिकांशतः उच्च वर्गों के माध्यम से बीड़ी निर्मित करना निम्न वर्ग का उद्योग माना जाता है।

(5) मिट्टी से सम्बन्धित उद्योग – यह उद्योग कुम्हार जाति के व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है। इस तरह के व्यवसाय में पर्याप्त कला कृतियां मिलती हैं। यह उद्यम शेष वर्गों हेतु अपमानि के रूप में दृष्टिगोचर होता है जबकि मिट्टी के बर्तन प्रत्येक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य हेतु उत्तम होता है।

(6) चर्म उद्योग – यह उद्यम चमड़े से निर्मित भिन्न-भिन्न तरह की सामग्री का है, बहुत उपयोगी है तथा इसका निर्यात करके भी विदेशी मुद्रा प्राप्त किया जाता है, फिर भी यह उद्योग घृणित उद्योग मानी जाती है।

(7) मांस एवं अण्डा उद्योग – इस प्रकार के उद्यम खास जाति चिकवा एवं कसाई के माध्यम से किया जाता है। यह उद्योग लाभ की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मांस एवं अण्डा का उपयोग तकरीबन समाज के सर्वाधिक समुदायों द्वारा किया जाता है। रोजगार की दृष्टिकोण से समाज के अन्य वर्ग अपमानित व्यवसाय मानते हैं।

(8) बैंत बांस उद्योग – यह उद्यम बसोर जाति के व्यक्तियों का मानी जाती है, अन्य समुदाय के व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा के विरुद्ध मानते हैं। यद्यपि बांस की निर्मित भिन्न-भिन्न तरह के बर्तन हमारे दैनिक उपयोग की सामग्रियों में पहली दर्जा प्राप्त किया हुआ है।

● **रुढ़िवादी परम्परा** – औद्योगिक इकाईयों के विकास हेतु रुढ़िवादी परम्परा अत्यधिक घातक साबित हो रहा है। ग्रामीण उद्यमी रुढ़िवादिता और अंधविश्वास से ग्रसित हैं, जिनके फलस्वरूप उद्यमी स्वयं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। यह उद्यमी अपनी पुरानी परम्पराओं में होने के कारण नवीन परिवेश से सम्पर्क व सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाते हैं। उद्यमियों में संस्कृति, मूल्य व आदर्शों की जड़े इतनी गहरी है कि वे नवीन ज्ञान विज्ञान, आदर्शों एवं आधुनिकता को अपनाने मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। नवीन तकनीकी के प्रति वैचारित स्तर पर रुढ़िवादी समस्या को सरल मानते हैं जो उनकी अशिक्षा एवं अज्ञानता का परिणाम है, जिसके कारण वे उपेक्षित उद्यम में विकास कर पाने में पिछड़े हैं।

● **ऋण के विरुद्ध जमानत की समस्या** – बैंक प्रायः सवर्णों या सामान्य वर्गों को पूँजी दी जाती है, परंतु निम्न वर्ग तथा गरीब वर्ग को बैंक पूँजी नहीं देते हैं क्योंकि जमानत नहीं ले पाते हैं।

● **प्रशिक्षण की कमी** – भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार बिल्कुल अनियोजित तरीके से हुआ है तथा इसका विस्तार करते समय भविष्य की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। उद्यमी शिक्षा योजना भी इसी जल्दबाजी का शिकार हुई है। शिक्षण प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की सुनियोजित तरीकों को अपेक्षाकृत देर से अपनाया गया है। अर्थात् समय के अनुसार प्रशिक्षण पर्याप्त रूप से नहीं दिया जाता है।

● **योजनाओं की जानकारी का अभाव** – जिले में उद्यमियों के उद्यमिता विकास हेतु अनेक शासकीय योजनायें संचालित हैं, किंतु योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी कहा जाय या इसका दुर्भाग्य जो इन उद्यम योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में असफल साबित हुये हैं। अशिक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा रही है, जबकि शासन द्वारा विभिन्न उद्यम योजनाओं का समय-समय पर प्रचार-प्रसार उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि सीमित प्रचार प्रसार करके कर्तव्यों को इतिश्री मान लिया जाता है। परिणाम यह है कि उद्यमियों को वास्तविक योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है एवं कुछ चुने हुये उद्यमियों को भी इन योजनाओं की थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान करके आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित कर दी जाती हैं, वास्तविक एवं सुपात्र जरूरतमंद उद्यमी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।

● **जागरूकता का अभाव** – औद्योगिक इकाईयों की उद्यमिता विकास में योगदान अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में जागरूकता में कमी है। उद्यमी वर्ग अपने हितों के प्रति चेतन नहीं है। चूंकि उद्यमी वर्ग सीधी सपाट उद्यम करने वाले सहनशील एवं थोड़ा बहुत आय प्राप्त कर लेने के कारण उनके द्वारा कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया। शिक्षा व जागरूकता में कमी के कारण ये उद्यमी वर्ग शासकीय योजनाओं की जानकारी से अनभिज्ञ रहे और इन्हें जो थोड़ी बहुत सहायता मिली, उन्हें ही पर्याप्त समझकर प्रतिवाद नहीं किये और इन उद्यमी वर्गों का शासकीय मशीनरी द्वारा निरंतर शोषण व गुमराह किया जाता रहा।

सतना जिले के औद्योगिक इकाईयों का मानव जीवन के विकास की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत अनेक समस्याओं को रखा गया है। जो उद्योग को सवाधिक प्रभावित करती है। परन्तु इन पर उद्यमी का

नियंत्रण नहीं होता है, जैसे उद्योग स्थान पर स्थानीय स्वरूप से विद्युत जल और अच्छी सड़क, सामग्री एवं पूंजी की उचित व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऋण ग्रस्तता इत्यादि। अतः उद्योगों के विकास के क्षेत्र में विद्यमान ऐसी समस्याओं की वजह से व्यक्तियों का रुझान रोजगार के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की तरफ नहीं हो पा रही है। जब तक ऐसी समस्याएं व्याप्त होगी व्यक्ति घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में पिछड़े ही रहेगे। ऐसी समस्यायें एक नहीं अनेक हैं, जो इस प्रकार हैं –

- **पूंजी की समस्या** – औद्योगिक इकाइयों को अपनी प्रारंभिक अवस्था में जब वित्त की सबसे अधिक आवश्यकता महसूस होती है तब अपने स्वयं के द्वारा जुटाई गई पूंजी पर ही निर्भर रहना होता है। बैंक व शासकीय विभाग नए उद्योगपतियों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहारा देकर खड़ा करते हों ऐसी स्थिति से अभी भी हम बहुत दूर हैं जब तक एक व्यक्ति अपने आपको इस क्षेत्र में सफल साबित न कर दें तब तक इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। होना तो यह चाहिए कि संस्थागत साख प्रदान करने वाले इन संस्थानों को अपना सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व समझते हुए इस क्षेत्र में आने वाले युवाओं को इकाई की स्थापना तथा उसके संचालन के लिए उचित प्रशिक्षण लगातार आयोजित कर उसकी जोखिम में भी भागीदारी के लिए आगे आना चाहिए। इसके लिए इन्हें अपने परम्परागत रूप से तरलता तथा सुरक्षा की चाह से बाहर निकलकर कुछ जोखिम भी उठानी होगी। छोटे-छोटे उद्यमी के पास स्वयं की उचित पूंजी न होने से आधुनिक मशीन तथा तकनीक का उपयोग करने से वह वंचित रह जाता है। वित्त उपलब्ध कराने वाले संस्थान उसकी योजना पर विचार करने में महीनों लगा देते हैं। ये संस्थान प्रारंभिक पूंजी तथा भविष्य में किए जाने वाले विस्तार में बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाते। यदि इनकी सहायता प्राप्त होती भी है तो कार्यशील पूंजी के लिए अल्पावधि ऋण के रूप में प्राप्त होती है। दीर्घकालीन ऋण के लिए ये सम्पत्ति के रहने अथवा गारण्टी हेतु उद्यमी को उलझाए रखते हैं, उद्योगों की साख शक्ति सीमित होती है और जमानत अथवा गहन के रूप में रखने हेतु उनके पास रुचायी अथवा चल सम्पत्ति की कमी होती है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अल्पकालीन ऋण बहुत उच्च ब्याज दर पर लेने हेतु विवश होना पड़ता है।

- **अधोसंरचना सुविधाओं की समस्या** – नया उद्यमी इस सम्बन्ध में बेखबर होता है कि उसे उद्योग की स्थापना के लिए स्थान का चयन करते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। परिणामस्वरूप उसे एवं बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। सड़कों का खस्ता हाल, कमजोर संचार सुविधाएं तथा वित्तीय संस्थाओं की सेवाएं, मजदूरों और कर्मचारियों के लिए औद्योगिक बस्ती का निर्माण आदि ऐसी आधारभूत सुविधाएं हैं, जिनकी उपलब्धता पर औद्योगिक विकास की गति निर्भर करती है। इन विपरीत परिस्थितियों में वन विभाग के तथा पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी अन्य नीति निर्देश से उबरने में सहायता नहीं करते हैं। देश का औद्योगिक वातावरण ऐसा होना चाहिए कि इसके सम्पर्क में आते ही उद्यमी को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर मिल सके। यह अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के विस्तार से ही संभव है जिसका अभाव बना हुआ है।

- **कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता** – इन उद्योगों की एक और प्रमुख समस्या अच्छे किस्म के कच्चे माल की उचित मूल्य पर अनुपलब्धता तथा समय-समय पर इसकी कमी हो जाने की है। उद्योगों का छोटा आकार तथा वित्तीय स्थिति के कारण उन्हें मध्यस्थियों की सेवा लेकर उधारी पर निर्भर रहना होगा। कच्ची सामग्री की कीमत इससे बढ़ती है और पूरा उद्योग विपरीत रूप से प्रभावित होता है। इसकी अनियमित पूर्ति से भी उत्पादन योजना में अवरोध की स्थिति बन जाती है। विदेशी से कच्चे माल के आयात की दशा में तो यह समस्या कई गुनी बढ़ जाती है।

- **ऋणग्रस्तता की समस्या** – यह अत्यधिक गहन चिंता का विषय है कि एक तरफ तो सरकार छोटे उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु अनेक सुविधाएं और उदार शर्तों पर ऋण मुहैया करवा रही है। जैसा कि हम देख चुके हैं इसके हेतु एक ही नहीं अनेक कारण उत्तरदायी हैं। स्थायी रोजगार हेतु इस तरफ आकर्षित हुआ व्यक्ति अपनी स्वयं की पूंजी लुटाकर ऋण की बोझ तले अपने को दबा हुआ असहाय पाता है। पारिवारिक व सामाजिक तिरस्कार के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं और लेनदारों का ऋण भुगतान करने का दबाब उसे आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर विवश कर देता है।

- **दोषपूर्ण नियोजन** – सर्वाधिक उद्यमी औचित्य, संभाव्यता, बाजार दशाओं एवं कच्चा माल की उपलब्धता का विस्तृत अध्ययन किये बगैर ही अपने उद्यम शुरू कर देते हैं। अति उत्साह में वे पानी की गहरायी देखे बगैर गोता लगा बैठते हैं तथा आगे चलकर इनका खामियाजा भुगतते हैं। इसके मन में उद्योग की कोई सुस्पष्ट धारणा नहीं होती है। वित्तीय संस्थाओं पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के बगैर वित्त उपलब्ध करवाने का दबाव डाला जाता है। इससे इन संस्थाओं का पूँजी तो ढूबती ही है। नवीन उद्योग अपनी प्रारम्भिक परिस्थिति में ही बीमार उद्योगों की श्रेणी में आ जाता है।
- **बाजार सम्बन्धी समस्याएं** – औद्योगिक इकाईयों के मार्ग में एक और बड़ी बाधा है, वह बाजार सम्बन्धी अनेक समस्याओं की। प्रमापित माल के उत्पादन की कमी, कमजोर डिजाइन एवं किस्म, कमजोर ब्राण्ड, विक्रय पश्चात की सेवाओं में कमी, निर्यात हेतु अनुभव की कमी, आदि समस्याओं से ये उद्योग ग्रस्त है। इनके पास साधन इतने सीमित होते हैं कि ये विस्तृत स्तर पर विज्ञापन, विक्रय एवं वितरण व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर पाते। इससे उत्पादन लागत एवं विक्रय मूल्य के बीच का अन्तर घटता चला जाता है और एक दिन ये अपने आपको बीमार उद्योग के रूप में खड़ा पाते हैं। अपना स्वयं का वितरण माध्यम न होने से अनेक उद्योगों को अपने उत्पादन के लिए किसी बड़े उद्योगपति का ब्राण्ड उपयोग करना पड़ता है जिसके लिए इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बड़े उद्योग घराने उपभोक्ताओं में ऊँची कीमत वसूल करने में सफल रहते हैं तथा इन छोटे उद्योगपतियों को बाजार दशाओं में पिछड़ेपन का खामियाजा अपने लाभ से समझौते के रूप में भुगतने को मजबूर होना पड़ता है।
- **मूल्य वसूली की समस्या** – यह वर्तमान बाजार की आवश्यक बुराई है जिसमें इन छोटे उद्यमियों से भी उधार की अपेक्षा की जाती है। प्रारंभ में यह उधार 1-2 माह की अवधि से शुरू होता है फिर धीरे-धीरे यह 12 माह से भी अधिक अवधि का हो जाता है और क्रेता उसे भुगतान न कर टाल मटोल करता रहता है। धीरे-धीरे वह विक्रेता से अपने आपको अलग कर लेता है। समय पर भुगतान न मिलने से उसे संस्थागत साख प्राप्त करने में भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सबसे यह वित्तीय दुष्क्र में उलझता जाता है।

समाधान के सुझाव –

पर्यावरणीय कानूनों का कड़ाई से पालन और औद्योगिक इकाईयों के लिए सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू किए जाएँ। स्थानीय समुदायों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। औद्योगिक विकास में स्थानीय लोगों को अधिक शामिल किया जाए, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जल प्रबंधन और भूमि संरक्षण की ठोस योजनाएँ बनानी चाहिए। यह आवश्यक है कि औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, ताकि सतना जिले का समग्र विकास स्थायी और टिकाऊ हो सके।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सतना जिले में औद्योगिक इकाईयों की वृद्धि ने आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा दिया है, विशेष रूप से सीमेंट उद्योग के विस्तार ने इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। हालाँकि, औद्योगिकीकरण के इस तीव्र विकास ने कई गंभीर समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिनका समाधान आवश्यक है। औद्योगिक इकाईयों से उत्सर्जित हानिकारक गैसों और अपशिष्ट पदार्थों के कारण वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है। यह स्थिति स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। वन क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ा है। औद्योगिक प्रदूषण के कारण स्थानीय निवासियों को श्वसन संबंधी बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धूल, रसायनों और ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों में। औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन इसका लाभ सीमित वर्गों को ही मिला है। इससे सामाजिक असमानता और विस्थापन की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी भूमि और संसाधनों से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। औद्योगिक इकाईयों की वृद्धि के साथ जल और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग

हो रहा है। जलस्रोतों पर अत्यधिक दबाव के कारण जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो स्थानीय कृषि और ग्रामीण समुदायों के लिए गंभीर समस्या बन रही है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उचित नियमों और नीतियों की कमी के कारण पर्यावरणीय समस्याएँ और गंभीर हो गई हैं। वर्तमान में लागू पर्यावरणीय नीतियाँ प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही हैं, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी नहीं आ रही है। इस प्रकार सतना जिले में औद्योगिकीकरण ने आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं में भी वृद्धि हुई है।

संदर्भ –

1. कुम्हार, प्रमिला – औद्योगिक भूगोल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, संस्करण 2005
2. डेमी, एन. राबर्ट्सन – उद्योग का नियंत्रण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, संस्करण 1989
3. बघेल, डॉ. डी.एस. – सामाजिक अनुसंधान, साहित्य भवन, आगरा, संस्करण 2012
4. कुलश्रेष्ठ, डा. आर.एस. – औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा, संस्करण 2012
5. सिन्हा, डॉ. बी.सी. – आर्थिक विचारों का इतिहास, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, संस्करण 2007
6. शुक्ल, प्रो. त्रिभुवननाथ – उद्यमिता विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, संस्करण 2015
7. ममोरिया, डा. चतुर्भुज – भारत की आर्थिक समस्याएं, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, संस्करण 2012